आवश्यक आज ही/जरिये ई-मेल

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर ।।

कारा/भवन/1/2015-16/5/नवीन महिला जेल/ 43297-98 दिनांकः 14/11/18

अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह,
उदयपुर।

विषयः—राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन ।
प्रसंगः—शासन उप सचिव गृह (ग्रुप—12) विभाग जयपुर के पत्र क्रमाक प.9(3)गृह—12/कारा/2018 दिनांक 02.11.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की छांया प्रति संलग्न कर निवेदन है कि नवनिर्मित महिला बंदी सुधारगृह, उदयपुर को अधिसूचना संख्या प.9(2)गृह—12/कारा/2018 दिनांक 16.07.2018 को राजस्थान राजपत्र के अंक ई.ओ. दिनांक 18.07.2018 भाग 1 (ख) के पृष्ठ संख्या 19[illegible] पर प्रकाशित कर दिया है जिसकी प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(ओम प्रकाश शर्मा)
अधीक्षक
महानिदेशालय कारागार
राजस्थान,जयपुर

13/11/18

प्रतिलिपिः— प्रभारी कम्प्यूटर सेल को वास्ते वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

अधीक्षक
महानिदेशालय कारागार
राजस्थान,जयपुर

328

राजस्थान सरकार
गृह(ग्रुप–12)विभाग

क्रमांक : प.9(2)गृह–12/कारा/2018 जयपुर, दिनांक 12 NOV 2018

महानिदेशक कारागार,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन।
संदर्भः– आपका पत्रांक कारा/भवन/1/2015–16/5/नवीन महिला जेल/18257 दिनांक 22.06.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि नवनिर्मित महिला बंदी सुधारगृह, उदयपुर को अधिसूचना संख्या प. 9(2)गृह–12/कारा/ 2018 दिनांक 16.07.2018 को राजस्थान राजपत्र के अंक ई.ओ. दिनांक 18.07.2018 भाग 1(ख) के पृष्ठ संख्या 191 पर प्रकाशित कर दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(कैलाश चन्द)
शासन उप सचिव

Date 02 NOV 2018
Directorate ... Jaipur
Prisons

1151
8/11/2018

842

272/3.8.18 329 (7)

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

सत्यमेव जयते

आषाढ़ 27, बुधवार, शाके 1940–जुलाई 18, 2018
Asadha 27, Wednesday, Saka 1940–July 18, 2018

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप–12) विभाग

आदेश

जयपुर, जुलाई 16, 2018

संख्या प.9(2)गृह–12/कारा./2018 :–यतः यह राज्य सरकार कारागार अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम –9, सन् 1894) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर के परिसर में नव निर्मित महिला बंदी सुधारगृह जो तहसील गिर्वा के खसरा नं. 1774 (केन्द्रीय कारागृह उदयपुर के कैम्पस में) की सम्पूर्ण कैम्पस का क्षेत्रफल निर्मित भवन सहित लगभग 32,586 वर्गफीट भूमि पर निर्मित है। इस भवन के पश्चिम दिशा में रेल्वे लाईन एवं जेल की खाली भूमि है, उत्तर में आर.सी. ए. की कृषि भूमि है, पूर्व में जेल कर्मचारियों के आवास गृह एवं केन्द्रीय कारागृह उदयपुर का मुख्य भवन है तथा दक्षिण में जेल का बाग एवं आर. ए. सी. की नवीन बैरिक बनी हुई है। नवीन महिला बंदी सुधारगृह के निर्मित भवन का कुल क्षेत्रफल लगभग 14,328 वर्गफीट है एवं सम्पूर्ण कैम्पस का क्षेत्रफल निर्मित भवन सहित लगभग 32,586 वर्गफीट है। इस क्षेत्र को एतद्द्वारा स्थाई जेल घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कैलाश चन्द,
उप शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।